



Neutral Citation No. - 2026:AHC:42875-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

क्रिमिनल मिस. रिट याचिका संख्या - 2535/2026

बृजेश कुमार

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : चंद्रकांत त्रिपाठी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, सूर्य प्रकाश दुबे

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, राज्य के विद्वान सरकारी वकील, श्री देवेश कुमार शर्मा (श्री सूर्य प्रकाश दुबे की ओर से) और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रारंभ में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया है कि इस मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके और उन्होंने कहा कि वे इस रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और उचित समय पर उचित मंच पर जाने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. दिए गए बयान के मद्देनजर, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।